नवभारत न्यूज
26/11/2023

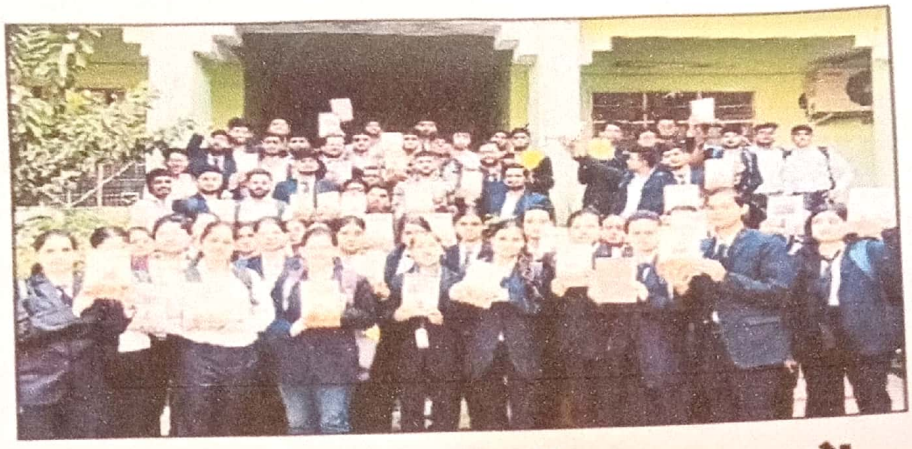

माधव विधि महाविद्यालय में संविधान दिवस पर कार्यशाला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 26 नवम्बर। मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा संचालित माधव विधि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संविधान दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट अनमोल खेड़कर ने बताया कि क्यों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने युवा शक्ति को अपने जीवन में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को अंगीकृत और आत्मार्पित करने का संकल्प दिलवाया और युवा शक्ति को आवाहित करते हुए कहा कि आप देश का भविष्य है और आपको अपना जीवन भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुसार गणना होगा यही आपका अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

Dr. Rahul Sharma
IQAC Coordinator

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with CamScanner

भारत में संविधान संप्रभु है : डॉ.नीति

ग्वालियर @ पत्रिका. माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.नीति पांडे ने हरिद्वार उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रविवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला वह आधारभूत ढांचा है जिससे सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का गठन होता है। उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उनके ऊपर दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं एवं उनके आपसी के साथ जनता के साथ संबंधों को विनियमित किया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को

अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया इसीलिए पहले इस दिन को विधि दिवस के रूप में और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ.पांडेय ने कहा कि भारत में विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है, उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान बेसिक लॉ आफ लैंड है। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगहों की छात्राएं मौजूद रहीं।

Scanned with CamScanner

देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला आधारभूत ढांचा है संविधान

देश की व्यवस्था का आधार है संविधान : पांडेय

माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे ने हरिद्वार उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रविवार 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने वाला आधारभूत ढांचा है। जिससे सरकार के तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का गठन होता है। उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं उनके ऊपर दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं। एवं उनके आपसी एवं जनता के साथ संबंधों को विनियमित किया जाता है। डॉ पांडेय ने कहा कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, एवं आत्मार्पित किया गया। इसीलिए पहले इस दिन को विधि दिवस के रूप में और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ,उत्तराखंड आदि की 200 छात्राएं शामिल रहीं।

Scanned with CamScanner

भारत में संविधान संप्रभु है: डॉ. नीति पांडेय